कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर)

ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in
Website : http://home.rajasthan.gov.in/homeguard

क्रमांकः–प.37(1430)एचजी / पीएसएएल / 2019 / 4498-4499 दिनाक : 19 MAR 2020

ले.क. कृष्ण पाल सिंह राणा (से.नि.),
पुत्र श्री जगत सिंह,
एफ.–30, ब्रहम अपार्टमेन्ट,
प्लॉट नं.–07, सेक्टर–07, द्वारका,
नई दिल्ली–110077

विषय :–दी राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2006 के अन्तर्गत लाइसेन्स निरस्त करने बाबत्।

प्रसंग :– कार्यालय पत्रांक 4196 दिनांक 04.03.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि **(पत्रावली संख्या 1430) मैसर्सः साईक्लोप सिक्यूरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज सर्विसेज प्रा.लि.** के नाम से पूर्व में आपको लाइसेन्स संख्या 971 / एच.जी. एच.क्यू.(एस.सैल) / 2015 वैधता दिनांक 15.07.2020 (सुरक्षा अभिकरण) एवं लाइसेन्स संख्या 1385 / एच.जी. एच.क्यू.(एस.सैल) / 2017 (प्रशिक्षण संस्थान) वैधता दिनांक 07. 06.2022 जारी किये गये थे।

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम–2005 की धारा 16 के तहत आपकी निजी सुरक्षा एजेन्सी एवं निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान मैसर्स : **साईक्लोप सिक्यूरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज सर्विसेज प्रा.लि.** के दर्जशुदा एजेन्सी कार्यालय पता : 16 / 11, श्री करनी प्रकाश कॉम्पलेक्स, द्वितीय तल, सुन्दरवास, उदयपुर व प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय पता : गांव– धोली पहाड़ी, तहसील– तिजारा, जिला–अलवर का वर्ष 2019–20 का वार्षिक निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण में पाया गया कि आपकी एजेन्सी का दर्जशुदा कार्यालय पता : 16 / 11, श्री करनी प्रकाश कॉम्पलेक्स, द्वितीय तल, सुन्दरवास, उदयपुर पर संचालित होना नही पाया गया तथा प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय पता : गांव– धोली पहाड़ी, तहसील– तिजारा, जिला–अलवर पर स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र पर एक अन्य निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, मैसर्स : चाहर सिक्यूरिटी एण्ड इन्टेलिजेन्स सर्विसेज लिमिटेड का भी संचालन होना पाया गया। उक्त दोनों प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वहां उपलब्ध संसाधन / सुविधाओं का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाना पाया गया।

उक्त के सम्बन्ध में आपको कार्यालय पत्र क्रमांक 2211 दिनांक 30.01.2020 द्वारा कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया था जिसके फलस्वरूप आपके द्वारा दिनांक 12.02.2020 को कार्यालय में प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि "प्रशिक्षण संस्थान हेतु उपयोग मे ली जा रही भूमि का क्रय मेरे द्वारा मैसर्स : चाहर सिक्यूरिटी एण्ड इन्टेलिजेन्स सर्विसेज लिमिटेड के मालिक श्री दिवान सिंह चाहर के साथ संयुक्त रूप से किया गया है। प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 के तहत निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के लाइसेन्स हेतु आवेदन करते समय मेरे पास सम्पति के मालिकाना हक का अलग से साक्ष्य / दस्तावेज नहीं था। सुरक्षा कारणों की वजह से दोनों प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा एक ही मुख्य द्वार का उपयोग किया जा रहा है।"

निरीक्षण रिपोर्ट एवं आप द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा नोटिस के जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. आप द्वारा निजी सुरक्षा एजेन्सी का कार्यालय दर्जशुदा पते पर संचालन नही कर राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम–2006 के नियम 6 (3) का उल्लंघन किया गया है।
2. आप द्वारा निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का संचालन एक अन्य निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान मैसर्स : चाहर सिक्यूरिटी एण्ड इन्टेलिजेन्स सर्विसेज लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से दर्जशुदा पते पर किया जाना पाया गया जिसकी सूचना आप द्वारा लाइसेन्स प्राप्ति के दौरान नहीं दी गई जो कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 13(1)(क) व (ग) का उल्लंघन है।

इस के क्रम में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 की उपरोक्त धाराओं का उल्लंघन करने के कारण अनुज्ञप्तिधारी के लाइसेन्स लाइसेन्स संख्या **971**/एच.जी. एच.क्यू.(एस.सैल)/2015 वैधता दिनांक 15.07.2020 (सुरक्षा अभिकरण) एवं लाइसेन्स संख्या **1385**/एच.जी. एच.क्यू.(एस. सैल)/2017 (प्रशिक्षण संस्थान) वैधता दिनांक 07.06.2022 को कार्यालय पत्रांक 2210 दिनांक 30.01.2020 के द्वारा प्राइवेट सिक्यूरिटी अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 13(2) के तहत एक माह के लिए निलम्बित किया गया। अनुज्ञप्तिधारक को धारा 13(4) उपधारा (1) के तहत व्यक्तिगत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिनांक 12.03.2020 को प्रदान किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 13 (1) में विनिर्दिष्टि उपधारा 13(1)(क) व (ग) एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम–2006 के प्रावधानो का उल्लंघन किया जाना स्वीकार किया गया।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 13(1) के तहत मैसर्स : **साईक्लोप सिक्यूरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज सर्विसेज प्रा.लि.**, लाइसेन्स संख्या **971/HG HQ (S-Cell)/2015 दिनांक 16.07.2015 (निजी सुरक्षा)** एवं **1385/HG HQ (S-Cell)/2017 दिनांक 08.062017 (निजी प्रशिक्षण संस्थान)** को एत्द द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त **(Cancelled)** किया जाता है।

(राजीव दासोत)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा)
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपी : आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ–

1. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर पर सूचना अपलोड व अद्यतन करने बाबत्।

(सुमन ढाका)
स्टॉफ आफिसर,
प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी सैल,
गृह रक्षा,राजस्थान,
जयपुर।